(104)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प 10(35)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक 7 MAY 2010

परिपत्र

विषय :– राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90बी की क्रियान्विति के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा उक्त विषय में जारी परिपत्र क्रमांक प 3(43)नविवि/3/09 दिनांक 25.02.2009 के बिन्दु संख्या 18 से 21 तक भू-उपयोग परिवर्तन पर निकाय स्तर पर रोक लगायी हुई है। ऐसे प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते है। सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात् उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाते है।

भविष्य में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 16.04.2010 के अनुसार सक्षम समिति द्वारा की जायेगी तथा प्रकरण को सक्षम समिति के समक्ष रखे जाने के लिए अलग से राज्य सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

(गुरदयाल सिंह संधू)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय [illegible] एवं [illegible] स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
5. आयुक्त [illegible]